ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0032613

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
23.12.13	आवेदक उपभोक्ता ने एक लिखित आवेदन प्रेषित किया था। आवेदन पेश करने के बाद वह केवल दिनांक 02.09.13 को एवं 12.11.13 को उपस्थित हुआ। आवेदन में उसने यह लेख किया है कि उसकी शिकायतों का निराकरण संबंधित अधिकारियों द्वारा न किये जाने से उसके अधिकारों का हनन हुआ। सारे मानसिक रोग से पीडित किया गया। उसके परिवार को मानसिन पीडा हुई। बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में कमजोर हो गये। अतः उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाये। आवेदन के साथ विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्र. सीओ111012, रामदीन जोशी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 30.03.12 तथा प्रकरण क्र.सीओ123912 यशवंत सिंह राठौर विरूद्ध अधीक्षण अभियंता में पारित आदेश दिनांक 21.02.13 की प्रति संलग्न है। फोरम के संबंधित अभिलेख भी प्राप्त है। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नही होता कि विद्युत उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता की वास्तविक शिकायत क्या है। तथा ऐसे उपभोक्ता के रूप में वह क्या सहायता चाहता है। जहां तक क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रश्न है ऐसा कोई प्रावधान संबंधित विधि में नही है जिसके द्वारा उपभोक्ता को फोरम या लोकपाल द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाई जा सके। उपभोक्ता के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उसे कोई अनुतोष प्रदान किये जाने का समुचित आधार नही पाया जाता है। अतः उसका आवेदन निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। प्रकरण पंजी से निरस्त हो। आदेश की प्रति नियमानुसार पक्षकारों को प्रेषित किया जाये। **विद्युत लोकपाल**	